

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

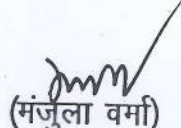
क्रमांक:- एफ.2 (क)/अलेसे । लिंक नं. 3636/ 637

दिनांक:- 29-8-18

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2 (क) (एस-397 ए) अलेसे-1/354 दिनांक 15.06.2018, श्रीमती स्नेहलता गर्ग (लिंक नं. 3636) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर- जिनकी जन्म तिथि 29/07/1965 है, के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1966, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 05/09/2018 से स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश की निरन्तरता में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती स्नेहलता गर्ग के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

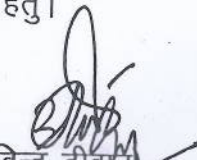

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)/अलेसे । लिंक नं. 3636/ 637

दिनांक:- 29-8-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर
- 2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
- 3 कोषाधिकारी, जयपुर
- 4 श्री/श्रीमती/सुश्री स्नेहलता गर्ग (लिंक नं. 3636) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
- 5 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- 6 उपनिदेशक (एसीपी) को को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)